



जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता(वा0)

कमरा नं0 229, विद्युत भवन, ज्योतिनगर, जयपुर-302005
फोन नं0 - 0141-2747041, फैक्स नं0 - 0141-2744803
ईमेल - se_comml@yahoo.in

क0 जेपीडी/अधी.अ. (वा.)/सी-1/एफ. /प्रे0. 240 जयपुर, दिनांक- 28.04.2017

आदेश

विषय:- ग्रामीण क्षेत्र में घरेलू विद्युत कनेक्शन हेतु शुल्क के सम्बन्ध में।

दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत गांवों एवं ढाणियों में विद्युतीकरण कर घरेलू कनेक्शन जारी किये जा रहे हैं। इस योजना के अन्तर्गत बी.पी.एल. परिवारों को निःशुल्क एवं ए.पी.एल. परिवारों को विद्युत कनेक्शन नियमानुसार शुल्क जमा कराकर जारी किया जाना प्रस्तावित है। इस सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया जाता है कि उपरोक्त योजनाओं में विद्युतीकृत गांवों एवं ढाणियों को आबादी क्षेत्र मानते हुये प्रचलित प्रावधानों के अनुरूप ए.पी.एल. परिवारों से निर्धारित कनेक्शन शुल्क रु. 1500/- एवं आवेदन शुल्क रु.200/- जमा करवाकर कनेक्शन जारी किया जाना सुनिश्चित करें।

यह आदेश अध्यक्ष डिस्कॉम द्वारा अनुमोदित है।

आज्ञा से

(ए.के. खण्डेलवाल)
मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)